झारखंड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विधान-मण्डल

(पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता)

(द्वितीय संशोधन)

अधिनियम, 2002

सत्यमेव जयते

(सभा द्वारा पारित)

[अधिनियम संख्या-15/2002]

झारखंड विधान–मंडल

(पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता)

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

(सभा द्वारा पारित)

झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता) (अधिनियम, 2001 झारखण्ड अधिनियम–01, 2001) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 53वें (तिरपनवें) वर्ष में झारखंड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

(i) यह झारखंड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखंड अधिनियम–01, 2001 की धारा–II (1) का संशोधन :– झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम – 1, 2001) की धारा II (1) में अंक 3,000/– (तीन हजार) रुपये के स्थान पर 5,500/– (पाँच हजार पाँच सौ) रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखंड अधिनियम की धारा–II (2) का संशोधन :– झारखंड विधानमंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखंड अधिनियम–01, 2001) की धारा–II (2) में

अंक 3,000/– (तीन हजार) रुपये के स्थान पर 5,000/– (पाँच हजार) रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. झारखंड अधिनियम की धारा–IV का संशोधन :– झारखंड विधानमंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखंड अधिनियम–01, 2001) की धारा–IV के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा :–

IV. पीठासीन पदाधिकारियों का दैनिक भत्ता :– कोई भी पीठासीन पदाधिकारी लोक कारोबार हेतु दैनिक भत्ता के रूप में 500/– (पाँच सौ) रुपये प्रतिदिन की दर से पाने के हकदार होंगे।

5. झारखंड अधिनियम की धारा–VI की कंडिका "क" एवं "ख" का संशोधन :– झारखंड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखंड अधिनियम–01, 2001) की धारा–VI की कंडिका "क" में अंक 1,000/– (एक हजार) रुपये के स्थान पर 8,000/– (आठ हजार) रुपये तथा कंडिका "ख" में अंक 500/– (पाँच सौ) रुपये के स्थान पर 5,000/– (पाँच हजार) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. झारखंड अधिनियम की धारा–VII का संशोधन :– झारखंड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखंड अधिनियम–01, 2001) की धारा–VII में निम्नलिखित समाविष्ट माना जायेगा :–

"विधान मंडल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चिकित्सा भत्ता के रूप में 2000/– (दो हजार) रुपये पाने के हकदार होंगे।"

यह विधेयक झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 दिनांक 26 अगस्त, 2002 को झारखण्ड विधान–सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 26 अगस्त, 2002 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

इन्दर सिंह नामधारी,

अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक 13-9-2002

ह०/- **म० रामा जोयिस,**
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

(अमरनाथ झा)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०)36--131--5-10-2002--शनि मुण्डा ।